

अज अदालत -- उपखण्ड अधिकारी मुकाम -- भदसर जिला चित्तौडगढ

गिटालाल वगैर । बनाम ।। मांगीबाई
 विरम मुकदमा 128 एल.आर.ए. नम्बर. 64 / 2019 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00337	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२३-१२-२०१९	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह पंवार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात मौजा धनेत पटवार हल्का पोटलाकलां में स्थित की खाता संख्या 194 में अंकित आराजी नम्बर 431, 432, 433, 443 कित्ता-4 कुल रकबा 5.12 एवं खाता संख्या 21 की आ0न0 488 की आ0न0 0.85 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न हैं। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलोच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निर्हीन है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदसर को 2000/- अक्षरे दौ हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा धनेत पटवार हल्का पोटलाकलां में स्थित की खाता संख्या 194 में अंकित आराजी नम्बर 431, 432, 433, 443 कित्ता-4 कुल रकबा 5.12 एवं खाता संख्या 21 की आ0न0 488 की आ0न0 0.85 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि की नक्शा बन्दोवस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 भदसर